दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 19-07-2025

फैसला • वर्ष 1990 में कोर्ट ने दी थी सजा, हाई कोर्ट में की थी अपील, पर लंबित रहने के दौरान हो गई थी याचिकाकर्ता की मौत

रिश्वत का आरोप: टीआई को 3 साल की सजा, पत्नी 26 साल लड़ी, हाई कोर्ट से बरी

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

लगभग 26 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत थाना प्रभारी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट द्वारा वर्ष 1999 में दी गई तीन साल के कठोर कारावास की सजा को जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने पाया कि जिस रिश्वत की मांग की बात की गई, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके परिजन को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फिर दो दिन बाद उसी जमानत की एवज में पैसे की मांग करने का आरोप असंभव लगता है।

रायपुर के बसना थाना में 8 अप्रैल 1990 की एक एफआईआर की गई थी। जिसमें थाना बसना क्षेत्र के ग्राम थुरीकोना निवासी जैतराम साहू ने सहनीराम, नकुल और भीमलाल साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी गणेशराम शेंडे ने तत्काल अपराध दर्ज किया। चूंकि मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत जमानती था, इस वजह से तीनों आरोपियों को उसी दिन मुचलके पर रिहा कर दिया गया। लेकिन, इसके दो दिन बाद 10 अप्रैल 1990 को,एक आरोपी भीमलाल साहू ने एसपी, लोकायुक्त, रायपुर को शिकायत दी कि उसे रिहा करने के बदले एक हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें शेंडे को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने दी थी सजा

इस कार्रवाई को आधार मानते हुए वर्ष 1999 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(D) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायालय ने शेंडे को तीन वर्ष की कठोर सजा और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ शेंडे ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहते ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने मुकदमा लड़ा।

हाईकोर्ट ने कहा- रिश्वत का औचित्य नहीं बनता

हाई कोर्ट ने दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि जिस रिश्वत की मांग की बात की गई, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके परिजन को पहले ही 8 अप्रैल को शाम 5 बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फिर दो दिन बाद 10 अप्रैल को उसी जमानत की एवज में पैसे की मांग करने का आरोप तथ्यों के मुताबिक असंभव लगता है।

थाना प्रभारी से नाराज होने पर की थी शिकायत

हाई कोर्ट ने यह भी माना कि शिकायत करने वाला भीमलाल साहू उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण थाना प्रभारी शेंडे से नाराज था। हाई कोर्ट ने ऐसे में ट्रैप की परिस्थितियां संदेहास्पद मानी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग साबित करने में असफल रहा और ट्रैप में जब्त राशि का कोई वैधानिक आधार नहीं था।